उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 –200 / 2018

सी0आई0एस0–218 / 2018

उमाशंकर चौबे.....वादी।

बनाम्

धनमुनी देवी.....प्रतिवादिनी।

आदेश

19.11.2025 उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 15.05.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 27 सरला देवी की मृत्यु दिनांक 26.09.2023 को हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 27 सरला देवी के मरने की जानकारी वादी को पहले नहीं थी तथा दिनांक 12.02.2025 को प्रतिवादी सं0 08 हीरा लाल साह के तरफ से एक आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें सरला देवी के मरने की बात कही गई है। अनुरोध करते हैं कि मृत प्रतिवादी सं0 27 सरला देवी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा इनके कानूनी वारीसान ब्रहमा सिंह, वशिष्ट सिंह, दिलीप सिंह का नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय। वादी द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षांत करने हेतू दफा 05 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तरफ से प्रति–उत्तर दाखिल कर आपत्ति किये है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा समय सीमा के अंतर्गत नहीं है जिसके लिए बिलम्ब माफी का आवेदन दिया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तरफ से प्रति–उत्तर दाखिल कर आपत्ति किये है। अतः वादी द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब की अवधि को मो0 500 / – पॉच सौ रूपये के खर्चे पर क्षांत किया जाता है। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 15.05.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को न्यायहित

उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

में स्वीकृत किया जाता है। मृत प्रतिवादी सं0 27 सरला देवी का नाम कलमजद करते हुए, इनके कानूनी वारीसान ब्रहमा सिंह, वशिष्ट सिंह, दिलीप सिंह के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू अग्रिम कार्यवाही करें।

दिनांक– 05.01.2026 वास्ते धारा 89 पर सुनवाई हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)